

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 331]
No. 331]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 5, 1997/ज्येष्ठ 15, 1919
NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 5, 1997/JYAISTHA 15, 1919

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जून, 1997

का. आ. 425(अ).—संविधान के अनुच्छेद 239 के खण्ड (1) के अनुसरण में, राष्ट्रपति एतद्वारा निदेश देते हैं कि वक्फ अधिनियम, 1995 (1995 का 43) के अन्तर्गत राज्य सरकार की शक्तियों और कार्यों का प्रयोग राष्ट्रपति के नियंत्रण के अध्यधीन और अगले आदेश होने तक, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक (उप राज्यपाल) अपने-अपने संघ राज्य क्षेत्रों में करेंगे।

[फा. सं.-यू-11030/2/96-यू. टी. एल.]

पी. के. जलाली, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th June, 1997

S. O. 425(E).—In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that the powers and functions of the State Government under the Wakf Act, 1995 (43 of 1995), shall, subject to the control of the President and until further orders, be exercised by the Administrator (Lieutenant-Governor) of the Union territories of the Andaman and Nicobar Islands, Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu and Lakshadweep within their respective Union territories.

[F. No. U-11030/2/96-UTL]

P. K. JALALI, Jt. Secy.